न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 18 / 2023 | रजू दिनांक 12.01.2023 | निर्णय दिनांक 19.04.2023

उनवान

1. पवन पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
2. मेवा पत्नी रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
3. सुमित्रा देवी पत्नी अनिल पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
4. लोकेश पुत्र अनिल पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
5. मोनू यादव पुत्र अनिल पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
6. रोहिताश पुत्र पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
7. बिमला पत्नी सरदारा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
8. मिश्रूलाल पुत्र सरदारा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
9. सुनिल पुत्र सरदारा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
10. रामकिशन पुत्र रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
11. ओमप्रकाश पुत्र रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
12. रोहिताश्व पुत्र रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
13. अशोक कुमार पुत्र रामानन्द रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
14. भाती पत्नी रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
15. मुकेश पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
16. संतोष पत्नी निहाल पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
17. नीरज पुत्र निहाल पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
18. दीपक पुत्र निहाल पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. कृष्ण पुत्र सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
2. बुधराम पुत्र सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
3. गीता पुत्री सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
4. सुमित्रा पुत्री सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
5. उपपंजीयक,नीमराना।
6. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) नीमराना जिला अलवर।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:– 1 श्री नोपेन्द्र शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

अधिकारी
(अलवर)

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि साबिक आराजी ख.नं. 179/18–01 बिस्वा वाकें ग्राम कायसा तह. नीमराना के संवत 2042 मे नये ख.नं. 708/0.25, 709/0.28, 710/0.52,711/0.57,712/0.01,713/01.07,714/0.25,715/0.30,716/0.54 कायम किए गए है। साबिक ख.नं. 179/18–01 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी सं0 01 लगा0 04 के पिता सूरजभान उर्फ सूरजा पुत्र बलवीर जाति ब्राहम्ण थे जिसने अपने जीवनाकाल ने अपनी साबिक खातेदारी ख.नं 179/18–01 बिस्वा मे से 1/4 हिस्से का बेचान जरिए रजि0 बैयनामा दिनांक 17.06.1985 को हम सं. 01 लगा. 09 के बुजूर्ग प्रभाती पुत्र हीरा तथा वादी सं. 10 लगा. 18 के बुजुर्ग खेमू पुत्र लालजी को संभाग रूप से बेचान कर मौके पर कब्जा दिया गया था। दोनो केंता फौत हो चुके है जिनके वारिसान का सजरा वाद मे अंकित है। वक्त खरीद से आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से पर वादीगण के बुजुर्ग प्रभाती पुत्र हीरा एवं खेमु उर्फ खेमराम पुत्र लालजी मौके पर संभाग रूप से काबिज रहे तथा उनके फौत होने के पश्चात आज तक हम वादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी हमारे कब्जा काश्त मे दिक्कत बाजी पैदा नही की इसलिए हम वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारी की जानकारी नही थी । लेकिन हम वादीगण द्वारा अपनी आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकले ली तब ज्ञात हुआ कि हमारे बुजुर्गो के द्वारा करा गए बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज नही हुआ इसलिए आराजी रिकॉर्ड मे विकेतागण के नाम ही दर्ज रही तथ उनकी मृत्यू के पश्चात उनकी खातेदारी उनके वारिसान के नाम दज होती रही।इस पर हम वादीगण द्वारा दिनांक 20.11.2022 को प्रतिवादीगण से मिले एंव आराजी मुतनाजा के गलत इंद्राज की जानकारी देकर बैयनामा के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कहा तो उस समय तो प्रति0 ने वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने की हा भर ली थी लेकिन अब प्रतिवादीगण के दिमाग मे बेईमानी आ गई है जिन्होने दिनांक 05.12.2022 को बैयनामा के आधार पर हम वादीगण के नाम दर्ज करवाने से साफ इंकार हो गए और गलत इन्द्राज के आधार पर जबरन कब्जा कर उसे दिगर जगह मुंतकिल करने की धमकी दी है, इसलिए दावा इस्तकरार हक,दुरूस्ती इन्द्राजात एं0 हु0ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया है।

2. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैः–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि हाल ख.नं. 708/0.25, 709/0.28, 710/0.52, 711/0.57, 712/0.01, 713/01.07, 714/0.25, 715/0.30, 716/0.54 वाके ग्राम कायसा तह. नीमराना मे प्रत्येक वादी सं. 01 लगा. 04 के नाम दर्ज हिस्सा 23/318 यानि कुल हिस्सा 92/318 पर से प्रति. सं. 01 लगा. 04 का नाम कलमजन किया जा कर उक्त 92/318 मे से वादी सं. 01 व 02 प्रत्येक को हिस्सा 1/18 के व वादी सं. 03,04,05 प्रत्येक को हिस्सा 1/54 के व वादी सं. 06 को हिस्सा 1/ 6 का व वादी सं. 07,08 व 09 प्रत्येक को हिस्सा 1/18 के व वादी सं. 10 लगा. 14 प्रत्येक को हिस्सा 1/20 के व वादी सं. 15 को हिस्सा 1/8 का व वादी सं. 16,17 व 18 प्रत्येक को हिस्सा 1/24 के खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात,ख.गिरदावरीजात,राजस्व नक्शा मे अंकन कराये जाने के आदेश फरमायें जावे तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।
(ख) डिक्री हु0ई0दवामी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि वो विवादित आराजी के गलत इंद्राज के आधार पर रहन बय नही करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ना ही वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की महाजाहमत पैदा ना करे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थिति नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व दिनांक 17.04.2023 एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत कि गई।

ड़ अधिकारी
ाना (अलवर)

4. वादीगण ने साक्ष्य मे पवन पुत्र रामनिवासा का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01,रविकांत पुत्र मुकेश का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02,महेन्द्र कुमार पुत्र रोहताश का शपथ पत्र पी.डब्लू. 03 पेश

किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2072-76 प्रदेश 01,नकल बैयनामा दिनांक 18.06.1958 प्रदर्श 02, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदर्श 04,नकल जमाबंदी संवत 2014 प्रदेश 05 व नकल नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदेश 06 पेश किए है।

5. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 प्रदेश 04 व नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 के अनुसार विवादित हाल ख.नम्बरान निम्न प्रकार कायम किए है:

संवत 2020		संवत 2042	
हाल	साबिक	हाल	साबिक
203/15-16 बिस्वा 302/1373/02-05 बिस्वा	179/18-01 बिस्वा	708/0.25	203 मिन/15-18 बिस्वा
		709/0.28	————
		710/0.52	————
		711/0.57	————
		712/0.01	————
		713/01.07	————
		714/0.25	————
		715/0.30	————
		716/0.54	————

नकल जमाबंदी संवत 2014 प्रदेश 05 के अनुसार साबिक ख.न. 179 /18-01 बिस्वा का खातेदार सूरजा वल्द बिरबल ब्राहम्ण था। नकल बैयनामा दिनांक 18.06.1958 से साबित है कि सूरजा पुत्र बीरबल कौम ब्राहम्ण ने अपनी उक्त आराजी ख.नं. 179/18-01 बिस्वा मे से 15 बीघा 11 बिस्वा का 1/4 भाग प्रभाती पुत्र हीरा व खेमू पुत्र लालजी यानि वादीगण के बुजुर्गान को बेचान किया था। बैयनामा के आधार पर यह तथ्य साबित है कि आराजी विवादित वादीगण के बुजुर्गान की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। परन्तु जनाबंदी संवत 2072-76 प्रदर्श 01 के अनुसार आराजी विवादित बाद बेचान भी विक्रेता सुरजभान ब्राहम्ण के वारिसान प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकोर्ड है। जबकि बाद बेचान सूरजभान अथवा सूरजभान के वारिसान का आराजी विवादित मे किसी भी प्रकार के हक हकूक शेष नही रहे है। इस प्रकार हाल जमाबंदी मे गलत इंद्राज हो रहा है। जिस गलत इन्दाज को दुरूस्त करा कर वादीगण बैयनामा के आधार पर अपने आप को खातेदार काश्त घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एंव गवाहान के शपथ पत्र के आधार वाद काबिले डिक्री करार पाता है।

6. अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल ख.नं.708/0.25,709/0.28,710/0.52,711/0.57,712/0.01,713/01.07,714/0.25,715/0.30,716/0.54 वाके ग्राम कायसा तह. नीमराना मे प्रत्येक वादी सं. 01 लगा. 04 के नाम दर्ज हिस्सा 23/318 यानि कुल हिस्सा 92/318 पर से प्रति. सं. 01 लगा. 04 का नाम कलमजन किया जा कर उक्त 92/318 मे से वादी सं. 01 व 02 प्रत्येक को हिस्सा 1/18 के व वादी सं. 03,04,05 प्रत्येक को हिस्सा 1/54 के व वादी सं. 06 को हिस्सा 1/ 6 का व वादी सं. 07,08 व 09 प्रत्येक को हिस्सा 1/18 के व वादी सं. 10 लगा. 14 प्रत्येक को हिस्सा 1/20 के

अधिकारी
(अलवर)

व वादी सं. 15 को हिस्सा 1/8 का व वादी सं. 16,17 व 18 प्रत्येक को हिस्सा 1/24 के खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात,ख.गिरदावरीजात मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खातेदारी इन्दाज बदस्तुर रखा जावे। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

19/4/2023

उपखण्ड अधिकारी

भीमराना (पदेन) एवं

पदेन सहायक कलक्टर,भीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 18 / 2023

रजू दिनांक 12.01.2023

निर्णय दिनांक 19.04.2023

उनवान

1. पवन पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
2. मेवा पत्नी रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
3. सुमित्रा देवी पत्नी अनिल पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
4. लोकेश पुत्र अनिल पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
5. मोनू यादव पुत्र अनिल पुत्र रामनिवास पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
6. रोहिताश पुत्र पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
7. बिमला पत्नी सरदारा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
8. मिश्रूलाल पुत्र सरदारा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवारी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
9. सुनिल पुत्र सरदारा पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
10. रामकिशन पुत्र रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
11. ओमप्रकाश पुत्र रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
12. रोहिताश्व पुत्र रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
13. अशोक कुमार पुत्र रामानन्द रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
14. भाती पत्नी रामानन्द पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
15. मुकेश पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
16. संतोष पत्नी निहाल पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
17. नीरज पुत्र निहाल पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
18. दीपक पुत्र निहाल पुत्र रामकुवार पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. कृष्ण पुत्र सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
2. बुधराम पुत्र सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवारी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
3. गीता पुत्री सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
4. सुमित्रा पुत्री सूरजभान उर्फ सूरजा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना।
5. उपपंजीयक,नीमराना।
6. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) नीमराना जिला अलवर।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः– 1 श्री नोपेन्द्र शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

री
:)

दिनांकः— 19.04.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल ख.नं.708/0.25,709/0.28,710/0.52,711/0.57,712/0.01,713/01.07,714/0.25,715/0.30,716/0.54 वाके ग्राम कायसा तह. नीमराना मे प्रत्येक वादी सं. 01 लगा. 04 के नाम दर्ज हिस्सा 23/318 यानि कुल हिस्सा 92/318 पर से प्रति. सं. 01 लगा. 04 का नाम कलमजन किया जा कर उक्त 92/318 मे से वादी सं. 01 व 02 प्रत्येक को हिस्सा 1/18 के व वादी सं. 03,04,05 प्रत्येक को हिस्सा 1/54 के व वादी सं. 06 को हिस्सा 1/6 का व वादी सं. 07,08 व 09 प्रत्येक को हिस्सा 1/18 के व वादी सं. 10 लगा. 14 प्रत्येक को हिस्सा 1/20 के व वादी सं. 15 को हिस्सा 1/8 का व वादी सं. 16,17 व 18 प्रत्येक को हिस्सा 1/24 के खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात,ख.गिरदावरीजात मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे

19/4/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना